



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06122025-268287
CG-DL-E-06122025-268287

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5426]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 2025/अग्रहायण 14, 1947

No. 5426]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 2025/AGRAHAYANA 14, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5614(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के बुलन्दशहर जिले में नया प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो दिल्ली रोड (राजमार्ग संख्या-91) को हापुड रोड (राजमार्ग संख्या-235) से जोड़ता है के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 3.250 तक के भू-खण्ड के निर्माण (नवीनीकरण/चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बुलंदशहर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या

किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के बुलन्दशहर जिले में नया प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो दिल्ली रोड (राजमार्ग संख्या-91) को हापुड़ रोड (राजमार्ग संख्या-235) से जोड़ता है के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 3.250 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: बुलन्दशहर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बुलंदशहर					
गांव का नाम: कुड़वल बनारस					
1	612	निजी	कृषि (निजी)	771 (वर्ग मीटर)	0.0771
2	773	निजी	कृषि (निजी)	1021 (वर्ग मीटर)	0.1021
3	775	सरकारी	अकृषिक (चकमार्ग)	400 (वर्ग मीटर)	0.04
4	776	सरकारी	अकृषिक (नवीन परती)	150 (वर्ग मीटर)	0.015
5	777	निजी	कृषि (निजी)	213 (वर्ग मीटर)	0.0213
गांव का नाम: काजमपुर देवली					
6	108	निजी	कृषि/अकृषिक (निजी)	309 (वर्ग मीटर)	0.0309
7	109	निजी	कृषि (निजी)	228 (वर्ग मीटर)	0.0228
8	111	निजी	कृषि/अकृषिक (निजी)	9765 (वर्ग मीटर)	0.9765
9	112	निजी	कृषि (निजी)	756 (वर्ग मीटर)	0.0756
10	191	निजी	कृषि (निजी)	334 (वर्ग मीटर)	0.0334
11	212	निजी	कृषि (निजी)	9055 (वर्ग मीटर)	0.9055

12	214	निजी	कृषि (निजी)	894 (वर्ग मीटर)	0.0894
13	215	निजी	कृषि (निजी)	1677 (वर्ग मीटर)	0.1677
14	221	सरकारी	अकृषिक (नाली)	160 (वर्ग मीटर)	0.016
15	27	निजी	कृषि (निजी)	551 (वर्ग मीटर)	0.0551
16	30	सरकारी	अकृषिक (नाली)	115 (वर्ग मीटर)	0.0115
गांव का नाम: कमालपुर					
17	46	निजी	कृषि (निजी)	1361 (वर्ग मीटर)	0.1361
18	461	निजी	कृषि (निजी)	408 (वर्ग मीटर)	0.0408
19	483	निजी	कृषि (निजी)	286 (वर्ग मीटर)	0.0286
20	484	निजी	कृषि (निजी)	340 (वर्ग मीटर)	0.034
21	485	निजी	कृषि (निजी)	71 (वर्ग मीटर)	0.0071
22	487	निजी	कृषि (निजी)	1039 (वर्ग मीटर)	0.1039
23	496	सरकारी	अकृषिक (बंजर)	378 (वर्ग मीटर)	0.0378
24	57	निजी	कृषि (निजी)	252 (वर्ग मीटर)	0.0252
गांव का नाम: औढेरा उर्फ नवादा					
25	513	निजी	कृषि (निजी)	725 (वर्ग मीटर)	0.0725
26	518	निजी	कृषि (निजी)	144 (वर्ग मीटर)	0.0144
27	521	निजी	कृषि (निजी)	397 (वर्ग मीटर)	0.0397
28	625	निजी	कृषि (निजी)	609 (वर्ग मीटर)	0.0609
गांव का नाम: असदुल्लापुर					
29	10	निजी	कृषि (निजी)	165 (वर्ग मीटर)	0.0165
30	16	निजी	कृषि (निजी)	162 (वर्ग मीटर)	0.0162
31	2	निजी	कृषि (निजी)	2325 (वर्ग मीटर)	0.2325
32	28/402	निजी	कृषि (निजी)	758 (वर्ग मीटर)	0.0758
33	31	निजी	कृषि (निजी)	191 (वर्ग मीटर)	0.0191
34	32	निजी	कृषि (निजी)	90 (वर्ग मीटर)	0.009
35	38	निजी	कृषि (निजी)	519 (वर्ग मीटर)	0.0519
36	8	निजी	कृषि (निजी)	202 (वर्ग मीटर)	0.0202

37	9	निजी	कृषि (निजी)	359 (वर्ग मीटर)	0.0359
गांव का नाम: दरियापुर					
38	13	निजी	कृषि (निजी)	76 (वर्ग मीटर)	0.0076
39	16	निजी	कृषि (निजी)	1941 (वर्ग मीटर)	0.1941
40	17	सरकारी	अकृषिक (कब्रिस्तान)	40 (वर्ग मीटर)	0.004
41	18	सरकारी	अकृषिक (कब्रिस्तान)	92 (वर्ग मीटर)	0.0092
42	196	निजी	कृषि (निजी)	1168 (वर्ग मीटर)	0.1168
43	27	निजी	कृषि (निजी)	592 (वर्ग मीटर)	0.0592
44	5	निजी	कृषि (निजी)	148 (वर्ग मीटर)	0.0148
45	60	निजी	कृषि (निजी)	473 (वर्ग मीटर)	0.0473
46	67	निजी	कृषि (निजी)	946 (वर्ग मीटर)	0.0946
47	8	निजी	कृषि (निजी)	363 (वर्ग मीटर)	0.0363
Total					4.3019

[फा. सं. 55011/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th December, 2025

S.O. 5614(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (New construction/widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Newly Proposed National Highway Connectivity of Delhi road (NH-91) and Hapur road (NH-235) near Bulandshahar in the stretch of land from Km 0.000 to Km 3.250 in the district Bulandshahar, in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.nd .

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional District Magistrate, (Administration), Bulandshahar in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such

objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the stretch of land Newly Proposed National Highway Connectivity of Delhi road (NH-91) and Hapur road (NH-235) near Bulandshahar in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 3.250 in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH			District: BULANDSHAHR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Bulandshahr					
Village: Kurval Banaras					
1	612	Private	Agriculture	771 (Square Meter)	0.0771
2	773	Private	Agriculture	1021 (Square Meter)	0.1021
3	775	Government	Non Agriculture (Chakmarg)	400 (Square Meter)	0.04
4	776	Government	Non Agriculture (Naveen Parti)	150 (Square Meter)	0.015
5	777	Private	Agriculture	213 (Square Meter)	0.0213
Village: Kazampur Deoli					
6	108	Private	Agriculture/Non Agriculture	309 (Square Meter)	0.0309
7	109	Private	Agriculture	228 (Square Meter)	0.0228
8	111	Private	Agriculture/Non Agriculture	9765 (Square Meter)	0.9765
9	112	Private	Agriculture	756 (Square Meter)	0.0756
10	191	Private	Agriculture	334 (Square Meter)	0.0334
11	212	Private	Agriculture	9055 (Square Meter)	0.9055
12	214	Private	Agriculture	894 (Square Meter)	0.0894
13	215	Private	Agriculture	1677 (Square Meter)	0.1677
14	221	Government	Non Agriculture (Drain)	160 (Square Meter)	0.016
15	27	Private	Agriculture	551 (Square Meter)	0.0551
16	30	Government	Non Agriculture (Drain)	115 (Square Meter)	0.0115
Village: Kamalpur					
17	46	Private	Agriculture	1361 (Square Meter)	0.1361
18	461	Private	Agriculture	408 (Square Meter)	0.0408
19	483	Private	Agriculture	286 (Square Meter)	0.0286
20	484	Private	Agriculture	340 (Square Meter)	0.034
21	485	Private	agriculture	71 (Square Meter)	0.0071
22	487	Private	Agriculture	1039 (Square Meter)	0.1039

23	496	Government	Non Agriculture (Banjar)	378 (Square Meter)	0.0378
24	57	Private	Agriculture	252 (Square Meter)	0.0252
Village: Odara Urf Nawada					
25	513	Private	Agriculture	725 (Square Meter)	0.0725
26	518	Private	Agriculture	144 (Square Meter)	0.0144
27	521	Private	Agriculture	397 (Square Meter)	0.0397
28	625	Private	Agriculture	609 (Square Meter)	0.0609
Village: Asadullapur					
29	10	Private	Agriculture	165 (Square Meter)	0.0165
30	16	Private	Agriculture	162 (Square Meter)	0.0162
31	2	Private	Agriculture	2325 (Square Meter)	0.2325
32	28/402	Private	Agriculture	758 (Square Meter)	0.0758
33	31	Private	Agriculture	191 (Square Meter)	0.0191
34	32	Private	Agriculture	90 (Square Meter)	0.009
35	38	Private	Agriculture	519 (Square Meter)	0.0519
36	8	Private	Agriculture	202 (Square Meter)	0.0202
37	9	Private	Agriculture	359 (Square Meter)	0.0359
Village: Dariyapur					
38	13	Private	Agriculture	76 (Square Meter)	0.0076
39	16	Private	Agriculture	1941 (Square Meter)	0.1941
40	17	Government	Non Agriculture (Graveyard)	40 (Square Meter)	0.004
41	18	Government	Non Agriculture (Graveyard)	92 (Square Meter)	0.0092
42	196	Private	Agriculture	1168 (Square Meter)	0.1168
43	27	Private	Agriculture	592 (Square Meter)	0.0592
44	5	Private	Agriculture	148 (Square Meter)	0.0148
45	60	Private	Agriculture	473 (Square Meter)	0.0473
46	67	Private	Agriculture	946 (Square Meter)	0.0946
47	8	Private	Agriculture	363 (Square Meter)	0.0363
Total					4.3019

[F. No. 55011/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director